फर्द अहकाम

पढ़ू बनाम श्रीमति रजनी खण्डेलवाल

S.D.O. ग्रामीण जयपुर

अपील 03/16

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14.5.19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल हो पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम हो उप खण्ड अधिकारी जयपुर (ग्राम) जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

अपील संख्या 3/2016
पीठासीन अधिकारी :– युगान्तर शर्मा, आर.ए.एस.

01. पप्पू पूत्र स्व. श्री महादेव, जाति नायक, निवासी, ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
02. देवी लाल स्व. श्री महादेव, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
03. शांति पुत्री स्व. श्री महादेव पत्नी रूपा राम, जाति नायक, निवासी ग्राम चाकसू तहसील चाकसू, व जिला जयपुर।
04. सोहनी पूत्री स्व. श्री महादेव पत्नी बिशना राम, पत्नी बिशना राम, जाति नायक, निवासी ..ग्राम कुण्डा आमेंर, तहसील आमेर, जयपुर।
0.. ..नारायण पुत्र श्री देवा, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
06. गुमान पुत्र श्री देवा, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर।
07. राजू पुत्री देवा पत्नी श्री सेडू राम, जाति नायक, निवासी ग्राम, जाखली तहसील मकराना जिला नागौर।
08. कैलाश पुत्री देवा पत्नी श्री रामफूल, जाति नायक निवासी ग्राम जाखली, तहसील मकराना जिला नागौर।
09. राजू पुत्र श्री सिन्धी, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
10. नेराज पुत्री श्री सिन्धी पत्नी प्रकाश, जाति नायक, निवासी ग्राम खाटूश्यामजी, जिला जयपुर।
11. अजय पुत्र श्री खेताराम जाति नायक, निवासी बद्रीनाथ कॉलोनी वार्ड नं. 01 आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. हरि पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
13. छोटू पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
14. राजेश पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
15 श्योजी पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर।
16 ..केश पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
1.. ..र पुत्र श्री रामदयाल जाति नायक निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर।
18. काना पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुरं
19. सुभाष पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर।
20. ममता पुत्री श्री रामदयाल, पत्नी श्री सिकन्दर, जाति नायक, निवासी जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर।
21. रामेश्वरी पत्नी श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
22. मोती पुत्र श्री गोपाल, जाति नायक, [illegible] जिला जयपुर।
23. सुरेश पुत्र श्री गोपाल, जाति नायक, निवासी ग्राम म[illegible]ील व जिला जयपुर।
24. राकेश पुत्र श्री गोपाल, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा [illegible] जिला जयपुर।
25. महेश पुत्र श्री गोपाल, जाति नायक, [illegible]सील व जिला जयपुर।
26. सेयर पुत्री श्री गोपाल पत्नी महेन्द्र, जाति नायक, निव[illegible] ग्राम मण्डा भीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
(अपीलान्ट्स संख्या 1 लगायत 5 एवं 7 लगायत 26 की ओर से बहैसियत मुख्त्यार आम श्री गुमान पुत्र देवाराम जाति नायक, निवासी माचवा तहसील व जिला जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बनाम

01. श्रीमती रजनी खण्डेलवाल पत्नी श्री अशोक खण्डेलवाल जाति महाजन, निवासी प्लाट संख्या 90, रामनाथपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

02. सरपंच, ग्राम पंचायत, माचवा पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. सं. 1591 निर्णय दिनांक 08.12.2006 द्वारा सरपंच

निर्णय

दिनांक 14.05.2019

[illegible] संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी गण ने अपने मुख्त्यार आम श्री गुमान पुत्र [illegible] राम जाति नायक के जरिये एक अपील विरूद्ध नामा.सं. 1591 प्रस्तुत की गयी। ग्राम माचवा का नामा.सं. 1591 चौथी बेवा महादेव कौम भोपा द्वारा क्रेता रजनी खण्डेलवाल पत्नी अशोक खण्डेलवाल को पंजीकृत विक्रयपत्र से ग्राम माचवा के ख.सं. 224/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में हिस्सा 1/5 के किये गये बेचान के आधार पर भरा गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत माचवा द्वारा निर्णय दिनांक 08.12.2006 को स्वीकृत कर निर्णित किया गया। अपीलार्थी अनुसार अनुसूचित जाति की महिला चौथी देवी का एक कूट रचित विक्रय विलेख फर्जी तरीके से तैयार कर रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में पंजीकृत करवा लिया गया तथा फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर बिना जांच किये स्वीकृत कर दिया गया। नामा. सं. 1591 की प्रति परत पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा राजस्व कानून अनिनियम की धारा 42 के संबंध में रिपोर्ट चाही गई थी तथा चौथी देवी की जाति के संबंध में उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन भी चाहा गया था। सरपंच ग्राम पंचायत माचवा द्वारा इस संबंध में जांच किये बिना नामान्तकरण संख्या 1591 स्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी अनुसार वे अनुसूचित जाति के ग्रामीण परिवेश [illegible] पढ़ें लिखे व्यक्ति है जो कि न्यायिक प्रक्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ है। दिनांक 26.03.2016 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा मौके पर कब्जा करने की कोशिश करने पर उसे नामान्तकरण के संबंध में जानकारी होने पर उसने बिना किसी विलम्ब के अपील प्रस्तुत की है, अपीलार्थी द्वारा ग्राम माचवा के नामा. सं. 1591 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत करते हुए आपत्तियां की गई कि अपीलार्थी द्वारा 2012 में उपस्थित हो प्रकरण में प्रस्तुत रेफरेंस में जवाब प्रस्तुत किया था अर्थात अपीलार्थी को प्रकरण की जानकारी होने के कुछ वर्ष बाद मियाद बाहर अपील रेस्पोडेंट को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई। प्रकरण आवंटनशुदा भूमि का [illegible] अपीलार्थी आवंटी नही है न ही उन्हें आवंटनशुदा भूमि से सरोकार [illegible] खसरा संख्या 224/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन चौथी देवी पत्नि स्व. श्री [illegible]देव जाति भोपा को किया गया। चौथी देवी को खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात उसके द्वारा बेचान किया गया। भोपा जाति अनुसूचित जाति में नहीं आती बल्कि अन्य पिछडा वर्ग में आती है। पटवारी हल्का द्वारा 04.01.2007 को की गई मौका जांच में आवंटी की जाति भोपा नायक पाई गई। इस जांच के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.01.05 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(ग्रामीण) जयपुर

Scanned by CamScanner

पर तहसीलदार जयपुर द्वारा एक रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस रेफरेंस पर माननीय न्यायालय ने 22.03.2013 को निर्णय करते हुए रेफरेंस प्रार्थना पत्र वापिस लौटाकर निर्देश दिया कि उपरोक्त विश्लेषण को मध्येनजर रखते हुए जांच कर कार्यवाही करें। तहसीलदार द्वारा जांच कर संदर्भित नामान्तकरण रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश किये गये। माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी याचिका 1271/2015 दायर की गई जो कि 14.03.2018 को खारिज की जा चुकी है। अपीलार्थी ने उक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है इस कारण खारिज फरमाने का निवेदन किया। रेस्पोंडेंट सं. 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा अपील पर अंतिम बहस का मौखिक आग्रह करते हुए अपील निर्णित करने का निवेदन किये जाने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि संदर्भित नामान्तकरण का आधार वह विक्रय पत्र है जिसमें अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि का अन्तरण सामान्य वर्ग के व्यक्ति/महिला को किया गया है। इस प्रकार का अन्तरण राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 अनुसार प्रारंभतः शून्य है। प्रकरण के संदर्भ में तहसीलदार जयपुर द्वारा धारा 42 के उल्लंघन के आधार पर प्रस्तुत रेफरेंस में माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में तहसीलदार को जाति के संबंध में जांच कर पुनः रेफरेंस पेश करने हेतु निर्देश दिये गये थे। आवंटी के पति का नायक जाति का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.01.2007 को जाति के संबंध में की गई जांच अनुसार आवंटी की जाति नायक (भोपा) है, जो कि अनुसूचित जाति है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 की तरफ से बहस का जवाब [illegible] हुए यह कथन किये गये कि प्रकरण से संबंधित भूमि आवंटित की गई भूमि है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटी के प्रार्थना पत्र में जाति भोपा अंकित है। तथा इस आवेदन पत्र पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा की गई जांच टिप्पणी में भी आवंटी की जाति भोपा पृथक से स्पष्ट रूप से अंकित है। नामान्तकरण संख्या 1591 की प्रति परत की प्रतिलिपि में भू.अ. निरीक्षक की टिप्पणी दिनांक 09.10.2006 इस प्रकार अंकित है कि "जाति भोपा के संबंध में प्रमाण पत्र लेवे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में तो नहीं है जिस पर सरपंच की दिनांक 12.10.2006 की यह टिप्पणी अंकित है कि गिरदावर स्पष्ट करें कि RTA की धारा 42 का उल्लंघन तो नहीं है। आगामी [illegible] बैठक में पेश करें। सरपंच की इस टिप्पणी पर गिरदावर की यह टिप्पणी दिनांक 18.10.2006 अंकित है [illegible] पटवारी हल्का को निर्देश दिया जाता है कि उक्त विक्रेता की जाति [illegible] मार्गदर्शन प्राप्त कर मार्ग दर्शन के साथ पेश करें। नामान्तकरण पर दिनांक 18.1[illegible]006 की पटवारी की यह टिप्पणी है कि क्रेता को दूरभाष पर विक्रेता का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा। यह नामान्तकरण दिनांक 08.12.2006 को उसी सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसके द्वारा दिनांक 12.10.2006 को गिरदावर से टिप्पणी चाही गई थी। सरपंच के निर्णय में यह अंकित है

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (प्रथम) जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कि ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकार/नामान्तकरण की प्रति परत पर यह सब टिप्पणियां, लिपिबद्ध करने में सरपंच द्वारा लिया गया लगभग दो माह का समय यह स्पष्ट इंगित करता है कि विक्रेता की जाति जांच करके राजस्व काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के प्रकाश में करने के उपरांत ही यह नामान्तकरण स्वीकृत/तस्दीक किया गया। विक्रेता आवंटी की जाति ग्राम पंचायत को नहीं हो यह माना नहीं जा सकता क्योंकि विक्रेता [illegible] की निवासी (रिकॉर्डानुसार) थी। सरपंच को राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विषय में ज्ञान उनकी दिनांक 12.10.2006 की टिप्पणी से सुस्पष्ट है, सारांशतः जाति को जांचकर सही पाये जाने पर नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की गई जो विधि अनुकूल सही है। अपीलार्थी ने अपील में रेफरेंस के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है परन्तु अब बहस में यह तथ्य प्रस्तुत कर रहे है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2012 में ही संदर्भित रेफरेंस में जवाब पेश किया था, यह तथ्य स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी को नामान्तकरण के विषय में जानकारी थी। अब मियाद बाहर अपील पेश की है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में भी गलत तथ्य अंकित किये है। अपील मियाद बाहर है। राजस्व रिकॉर्ड में जाति भोपा अंकित है, अलग-अलग समय पर की गई मौका जांच में भी जाति भोपा या नायक (भोपा) अंकित है पटवारी 04.01.2007 की जांच में भी आवंटी को पाबूजी की फड़ पढने के आधार पर भोपा जाति का माना जाना अंकित है। भोपा व भोपा (नायक) जाति अनुसूचित जाति नहीं है। अपितु भोपा व भोपा (नायक) अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति है। 2013 को इस बाबत् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का सर्कुलर/परिपत्र है।

विद्वान अभिभाषक गण की बहस को ध्यानपूर्वक सुन पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटन पत्रावली अनुसार विक्रेता (आवंटी)की जाति भोपा अंकित है। विक्रेता (आवंटी) की जाति के विषय में मौका जांच पटवारी हल्का द्वारा समय-समय पर किये जाने पर उसकी जाति भोपा या भोपा (नायक) होना जाहिर किया गया है। सरकार के परिपत्र भोपा/भोपा (नायक) जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित है। रेफरेंस के निर्णय दिनांक 22.03.2013 में भी विक्रेता आवंटी की जाति अनुसूचित जन जाति नहीं मानी गई है तथा रेफरेंस के निर्णय उपरांत वर्ष 2015 में तहसीलदार जयपुर द्वारा नामान्तकरण को अमल दरामद करने संबंधी आदेश जारी करना राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2068-72 की प्रतिलिपी से सुस्पष्ट होता है। यह नोट इस ओर इंगित [illegible] कि तहसीलदार जयपुर द्वारा संभवतः पुनः जांचकर रेफरेंस करना [illegible]।
उक्त तथ्यों से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरीत हुए अंतरण के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की पुष्टि नहीं होती अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नं. से कम हो।
आज दिनांक 14.06.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईलजाम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.01.05 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कि बाद विचार–विमर्श कोरम द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकार/नामान्तकरण की प्रति परत पर यह सब टिप्पणियां, निर्णय करने में सरपंच द्वारा लिया गया लगभग दो माह का समय यह स्पष्टतः इंगित करता है कि विक्रेता की जाति जांच करके राजस्व काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के प्रकाश में करने के उपरांत ही यह नामान्तकरण स्वीकृत/तस्दीक किया गया। विक्रेता/आवंटी की जाति ग्राम पंचायत को नहीं हो यह माना नहीं जा सकता क्योंकि विक्रेता ग्राम माचवा की निवासी (रिकॉर्डानुसार) थी। सरपंच को राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विषय में होना उनकी दिनांक 12.10.2006 की टिप्पणी से सुस्पष्ट है, सारांशतः जाति को जांचकर सही पाये जाने पर नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की गई जो कि बिल्कुल सही है। अपीलार्थी ने अपील में रेफरेंस के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है परन्तु अब बहस में यह तथ्य प्रस्तुत कर रहें है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2012 में ही संदर्भित रेफरेंस में जवाब पेश किया था, यह तथ्य स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी को नामान्तकरण के विषय में जानकारी थी। अब मियाद बाहर अपील पेश की है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में भी गलत तथ्य अंकित किये है। अपील मियाद बाहर है। राजस्व रिकॉर्ड में जाति भोपा अंकित है, अलग–अलग समय पर की गई मौका जांच में भी जाति भोपा या नायक (भोपा) अंकित है पटवारी 04.01.2007 की जांच में भी आवंटी को पाबूजी की फड़ पढने के आधार पर भोपा जाति का माना जाना अंकित है। भोपा व भोपा (नायक) जाति अनुसूचित जाति नहीं है। अपितु भोपा व भोपा (नायक) अन्य पिछडा वर्ग की जाति है। 2013 को इस बाबत् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का सर्कुलर/परिपत्र है।

विद्वान अभिभाषक गण की बहस को ध्यानपूर्वक सुन पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटन पत्रावली अनुसार विक्रेता (आवंटी)की जाति भोपा अंकित विक्रेता (आवंटी) की जाति के विषय में मौका जांच पटवारी हल्का द्वारा समय–समय पर किये जाने पर उसकी जाति भोपा या भोपा (नायक) होगा जाहिर किया गया है। सरकार के परिपत्र भोपा/भोपा (नायक) जाति अन्य पिछडा वर्ग में सम्मिलित है। रेफरेंस के निर्णय दिनांक 22.03.2013 में भी विक्रेता आवंटी की जाति अनुसूचित जन जाति नहीं मानी गई है तथा रेफरेंस के निर्णय उपरांत वर्ष 2015 में तहसीलदार जयपुर द्वारा नामान्तकरण को अमल दरामद करने संबंधी आदेश जारी करना राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2068–72 की प्रतिलिपी से सुस्पष्ट होता है। यह नोट इस ओर इंगित करता है कि तहसीलदार जयपुर द्वारा संभवतः पुनः जांचकर रेफरेंस करना उचित नहीं माना [illegible] उक्त तथ्यों से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] अधिनियम की धारा 42 के विपरीत हुए अंतरण के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की पुष्टि नहीं होती अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नं. से कम हो।

आज दिनांक 14.05.2019 को निर्णय मेंरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईलजाम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner